

श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 30.11.2016 को किए गए भ्रमण से संबंधित टिप्पणी।

दिनांक 30.11.2016 को पुलिस अधीक्षक, खगड़िया, उप विकास आयुक्त, खगड़िया, कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, खगड़िया, अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी के साथ निरीक्षण किया गया जो निम्नवत है:-

1. संसारपुर स्थित हेलीपैड, मंच एवं सभा स्थल:-

संसारपुर स्थित (समाहर्ता आवास के पीछे) मैदान में हेलीपैड एवं मंच का निर्माण तथा सभा स्थल का निरीक्षण किया गया। कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, खगड़िया को निदेश दिया गया कि सर्वप्रथम मैदान की लम्बाई एवं चौड़ाई की नापी करा कर हेलीपैड, मंच एवं सभा स्थल तथा वी0आई0पी0 के आने-जाने हेतु रास्ता एवं आम लोगों के आने-जाने का रास्ता के लिए स्थल चिन्हित कर नक्शा बना लें एवं मैदान के जमीन को समतल कराकर बैरिकेडिंग करायें।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, खगड़िया)

संसारपुर स्थित मैदान के बीच में अनाधिकृत रूप से किये गये विभिन्न प्रकार के निर्माण तथा परमानन्दपुर से बजरंगबली चौक तक सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण को हटाने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को दिया गया।

(अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया)

2. पंचायत सरकार भवन, तेलौछ:-

पंचायत सरकार भवन, तेलौछ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि मुख्य सड़क से पंचायत सरकार भवन तक पहुँच पथ के लिए मिट्टी की भराई की जा रही थी। निरीक्षण में पाया गया कि पंचायत सरकार भवन के चारों तरफ वर्षा का लगभग एक फीट पानी अभी भी जमा हुआ है। उपस्थित ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि पानी का निकास नहीं हो रहा है तथा पानी सुखने की गति धीमी है। उप विकास आयुक्त, खगड़िया को निदेश दिया गया कि पानी के निकास हेतु दोनों तरफ पहुँच पथ में ह्यूम पाईप देकर मिट्टी की भराई कराये ताकि पानी का निकास हो सके। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि यदि पानी का निकास नहीं हो पाता है तो पम्प से पानी की निकासी की जाय। साथ ही उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवन के चारों ओर भवन के प्लिंथ स्तर तक मिट्टी की भराई करायी जाय।

निरीक्षण में पाया गया कि पंचायत सरकार भवन के मुख्य प्रवेश छत में चारों तरफ तथा ऊपरी मंजिल के छत में रेलिंग नहीं है। इससे छत से नीचे गिरने की संभावना हो सकती है। पंचायत सरकार भवन के कार्यकारी एजेन्सी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, खगड़िया के कार्यपालक अभियन्ता को निदेश दिया जाता है कि पंचायत सरकार भवन, तेलौछ का निरीक्षण

कर छत रेलिंग के साथ-साथ अन्य आवश्यक कार्य एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन—उप विकास आयुक्त, खगड़िया / कार्यपालक अभियन्ता,  
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, खगड़िया)

कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, खगड़िया को निदेश दिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री के आगमन पर तेलौछ पंचायत सरकार भवन के निकट हेलीकॉप्टर के उतरने हेतु सुरक्षित स्थल का चयन कर हेलीपैड का निर्माण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन—कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, खगड़िया)

3. गैरमजरूआ खास जमीन का जमाबन्दी रद्द हेतु प्रस्ताव:-

पंचायत सरकार भवन, तेलौछ के आसपास के जमीन के सम्बन्ध में पूछे जाने पर अंचल अधिकारी, चौथम द्वारा बताया गया कि पंचायत सरकार के भवन के आसपास की जमीन गैरमजरूआ खास है जिसका जमाबन्दी कायम कर दिया गया है। अंचल अधिकारी, चौथम को निदेश दिया गया कि गैरमजरूआ खास जमीन की जमाबन्दी रद्द करने हेतु नियमानुसार प्रस्ताव अविलम्ब जिला स्तर पर भेजा जाय। उन्हें इस संबंध में पूर्व में भी निदेश दिया गया था। उन्हें अलग से कारण पृच्छा राजस्व शाखा द्वारा निर्गत किया जाए तथा तबतक वेतन भुगतान बन्द रहेगा।

(अनुपालन—अपर समाहर्ता, खगड़िया / कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया / अंचल अधिकारी, चौथम)

4. अनुमंडल / प्रखंड कार्यालय, गोगरी परिसर स्थित भवनों का निरीक्षण :-

अनुमंडल कार्यालय, गोगरी स्थित लोक शिकायत निवारण कार्यालय का निरीक्षण किया गया। कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, खगड़िया को लोक शिकायत निवारण कार्यालय का कार्य द्रुतगति से पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोगरी को कार्य पूर्ण हो जाने पर उक्त कमरे में लोक शिकायत निवारण का कार्य अविलम्ब प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

RTPS कार्यालय का निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया गया। RTPS कार्यालय हेतु निर्माणाधीन कार्यालय भवन में दिवाल प्लास्टर एवं अन्य कार्य किया जा रहा था। कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, खगड़िया को अनुमंडल RTPS कार्यालय का कार्य अविलम्ब पूर्ण कराने तथा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को कार्य पूर्ण हो जाने पर नव निर्मित भवन में RTPS का कार्य प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण, खगड़िया / अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी /  
अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोगरी)

5. मनरेगा, ट्राइसेम एवं कौशल विकास भवन:-

प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मनरेगा भवन, ट्राइसेम भवन, कौशल विकास भवन का निरीक्षण किया गया। उक्त सभी भवनों का सभी कार्य पूर्ण कराकर उसमें कार्य प्रारंभ कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-उप विकास आयुक्त, खगड़िया/अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी)

प्रखंड कार्यालय के बगल से अन्दर मनरेगा भवन, ट्राइसेम भवन, कौशल विकास भवन की ओर जाने वाली सड़क पर चापाकल का पानी जमा हुआ था। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को चापाकल वहाँ से हटाकर अन्यत्र गड़वाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी)

निरीक्षण के दौरान प्रखंड कार्यालय भवन के दिवाल पर पोस्टर सटा हुआ पाया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को सभी सरकारी भवन से पोस्टर हटवाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी)

6. अनुमंडल न्यायालय/अनुमंडल कार्यालय भवन निर्माण हेतु स्थल चयन:-

अनुमंडल न्यायालय/अनुमंडल कार्यालय भवन के निर्माण हेतु जमीन का स्थल निरीक्षण किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को अनुमंडल न्यायालय एवं अनुमंडल कार्यालय भवन निर्माण हेतु नियमानुसार प्रस्ताव जिला स्तर पर अविलम्ब भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी)

६०/—  
जिलाधिकारी,  
खगड़िया।

ज्ञापांक.....2276...../गो०, दिनांक.....०२-१२-१६.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/उप विकास आयुक्त, खगड़िया/ अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी/अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोगरी/ कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, खगड़िया/कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, खगड़िया/प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौथम, गोगरी/अंचल अधिकारी, चौथम, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया/जिला आई०टी० प्रबंधक, खगड़िया को सूचनार्थ तथा जिला के वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ईमेल करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी  
खगड़िया  
१२/१६